इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. 24647-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३५ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा १६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(२) उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा ऐसे मामलों में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दी जा सकेगी, जैसी कि विहित की जाएं.

(३) उपधारा (१) के अधीन कोई आवेदन, संचालक को लिखित में, ऐसे प्ररूप में, ऐसे शुल्क तथा दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जो कि विहित किए जाएं.

(४) धारा २९ के अधीन किसी आवेदन पर अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने हेतु धारा ३० के उपबंध, उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा के लिये दिए गए आवेदन को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

(५) धारा ३१, धारा ३२ तथा धारा ३३ के अधीन क्रमश: अपील, पुनरीक्षण एवं अनुज्ञा के व्यपगत होने से संबंधित उपबंध, जो कि धारा ३० के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले किसी आदेश को लागू होते हों, उपधारा (१) के अधीन किए गए किसी आदेश को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.".

धारा १७-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७-क की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्.—

"(३) राज्य सरकार वह रीति विहित कर सकेगी, जिसमें समिति का संयोजक—

(क) प्राप्त की गई आपत्तियों तथा सुझावों के अभिलेख संधारित करेगी;

(ख) समिति की बैठकें आयोजित करेगा और उपांतरणों तथा परिवर्तनों के संबंध में, यदि कोई हो, उसकी सिफारिशें प्राप्त करेगा;

(ग) अपनी रिपोर्ट संचालक को अग्रेषित करेगा.".

धारा २१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (१) में, शब्द "भूमि के उपयोग संबंधी उन ब्यौरों को, जो विकास योजना में उपदर्शित किए गए हों, विस्तारपूर्वक दर्शाया जाएगा और उसमें" का लोप किया जाए.

धारा २३-क का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द ''विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना के उपांतरण के लिये आवेदन, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे शुल्क एवं दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए'' जोड़ें जाएं;

(दो) उपधारा (२) में,—

(क) शब्द ''राज्य सरकार उपांतरित योजना की पुष्टि करेगी,'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य सरकार, योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जिस प्रकार कि वह समुचित समझे'' स्थापित किए जाएं;

(ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

परंतु राज्य सरकार :

(एक) योजना उपांतरित करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी कि वह समुचित समझे;

(दो) भूमि के उपयोग के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये भूमि का वह न्यूनतम आकार, जिसमें परिवर्तन हेतु विचार किया जा सकेगा, विहित कर सकेगी;

(तीन) योजना को उपांतरित करते समय अंतर्ग्रस्त भूमि के बाजार मूल्य के १० प्रतिशत से अनधिक प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी. विभिन्न प्रवर्गों के प्रकरणों के लिए उद्ग्रहण के मापदण्ड तथा वह रीति, जिसमें बाजार मूल्य अवधारित किया जाएगा, विहित कर सकेगी;

(चार) प्रकरणों के वे प्रवर्ग विहित कर सकेगी, जिन्हें खण्ड (दो) और/या (तीन) से छूट प्रदान की जा सकेगी.'';

(तीन) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''(४) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन दिए गए आवेदन की दशा में, फर्श क्षेत्र अनुपात की अनुज्ञेय सीमाएं उपांतरित नहीं की जाएंगी.''.

धारा २३-ख का अंत:स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा २३-क के पश्चात्, अध्याय पांच में, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

भुगतान पर अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात.

''२३-ख. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय, विकास योजना में, उन क्षेत्रों को, जिनका प्रत्येक का माप पांच हैक्टर से कम न हो, अधिसूचित कर सकेगी, जिनमें अनुज्ञेय सीमा से अधिक अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात, विहित राशि के भुगतान पर अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परंतु ऐसे किसी क्षेत्र को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार ने :

(एक) ऐसी अधिसूचना का कोई प्रारूप प्रकाशित न कर दिया हो तथा लोगों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित न कर लीं हों तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिनका कि उसमें हित हो सकता हो, सुन न लिया हो;

(दो) प्रस्तावित अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात को लागू करने के लिए अधोसंरचना की पर्याप्तता और

अनुज्ञेय सीमा से अधिक ऐसे अतिरिक्त फर्श क्षेत्र को अनुज्ञात करने के प्रभाव का पता लगाने हेतु उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार न कर लिया गया हो.

(२) वह रीति जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, हितबद्ध व्यक्तियों को सुने जाने की रीति तथा अतिरिक्त फर्श क्षेत्र के लिये आवेदन के प्ररूप के साथ ही संलग्न किए जाने वाला शुल्क तथा दस्तावेज विहित किए जाएंगे.

(३) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्वीकृत किया गया अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात विकास योजना में अनुज्ञात किए गए अनुपात से ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उपधारा (१) में वर्णित की गई राशि विहित रीति में संगणित किए गए समतुल्य अतिरिक्त भूमि के बाजार मूल्य के २५ प्रतिशत से कम नहीं होगी.

स्पष्टीकरण.—धारा २३-क तथा २३-ख के प्रयोजन के लिए ''फर्श क्षेत्र अनुपात''से अभिप्रेत है, किसी भवन के, ऐसे क्षेत्रों को छोड़ते हुए, जो कि विहित किए जाएं, उस भूमि के कुल प्लाट क्षेत्र के समस्त तलों पर निर्मित क्षेत्र का अनुपात.''.

धारा २४-क का हटाया जाना.

७. मूल अधिनियम की धारा २४-क का लोप किया जाए.

धारा २९ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् .—

''(३) धारा ३० के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा यदि पूर्व में ही व्यपगत नहीं हो गई है, तो उपांतरण का आवेदन, संचालक को किया जाएगा तथा उसमें ऐसे ब्यौरे, दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे तथा उसके साथ ऐसा शुल्क दिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु ऐसा कोई आवेदन, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित न किए जाए, उस तारीख से, जिसको कि अनुज्ञा, जिसके उपांतरण के लिये आवेदन किया गया था, दी गई हो, छह मास की कालावधि का अवसान होने के पूर्व नहीं किए जाएगा.''.

धारा ३० का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन आवेदन की दशा में, संचालक, इसमें इसके ऊपर खण्ड (क) या (ख) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्तियों को, जिनका प्रस्तावित उपांतरण में कोई हित हो, नहीं सुन लिया हो और उस भूमि या भवन में सृजित किन्हीं विल्लंगमों पर, यदि कोई हों, विचार न कर लिया हो. वे हित तथा विल्लगमों जिन पर विचार किया सकता हो, विचार किए जाने की प्रक्रिया, वह रीति, जिसमें विल्लंगमों, यदि कोई हों, का उपचार किया जाएगा और आदेश का प्ररूप, ऐसे होंगे जैसे कि विहित किए जाएं.''.

धारा ३०-क का अंत:स्थापन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

किसी प्लाट का विलयन या विभाजन.

''३०-क. (१) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, किसी प्लाट के विलयन या विभाजन को अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु जहां भूमि के उपयोग का प्रयोजन आवासीय है, वहां—

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के प्लाटों का विलयन नहीं किए जाएगा;

(ख) प्लाटों का विभाजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ग) केवल सटे हुए प्लाटों का विलयन किया जाएगा और ऐसे विलयन किए गए प्लाट का आकार ५०० वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा; और

(घ) विलयन के पश्चात् तैयार हुए प्लाट के लिये अनुज्ञेय आवासीय इकाइयों की संख्या उन प्लाट के लिये अनुज्ञेय आवासीय इकाइयों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, जिनका विलयन किया गया था.

(२) उपधारा (१) के अधीन दिए गए आवेदन में ऐसे ब्यौरे तथा दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे तथा उसके साथ ऐसा शुल्क दिया जाएगा जैसा कि विहित किए जाएं.''.

धारा ३७ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ३७ में उपधारा (१) में, शब्द, ''ऐसे विकास के पांच वर्ष के भीतर,'' का लोप किया जाए.

धारा ५० का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५० में,—

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परंतु आशय की कोई ऐसी घोषणा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी.'';

(दो) उपधारा (४) में,—

(क) शब्द ''या'' के स्थान पर, शब्द ''और'' स्थापित किया जाए;

(ख) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु ऐसी प्रारूप स्कीम का अंतिम प्रकाशन, उसमें प्रस्तावित किए गए अभिन्यास का संचालक द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा. ऐसा अंतिम प्रकाशन, प्रारूप स्कीम के प्रकाशन होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर प्रारूप स्कीम व्यपगत हो गई समझी जाएगी.'';

(तीन) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(५) उपधारा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, एक समिति गठित करेगा जिसमें, उक्त प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, ऐसे स्थानीय नगरीय निकाय का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती जिसकी अधिकारिता के भीतर, नगर विकास स्कीम अवस्थित है, और उस दशा में, जहां की स्कीम पूर्णत: या अंशत: उसकी अधिकारिता में आती हो, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती समाविष्ट होंगे.''.

धारा ५१ का स्थापन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ५१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

पुनरीक्षण.

''५१. राज्य सरकार या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, किसी भी समय, किन्तु धारा ५० के अधीन अंतिम नगर विकास स्कीम के प्रकाशन होने की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष के भीतर, या तो स्वप्रेरणा से या अंतिम स्कीम के ऐसे प्रकाशन होने के तीस दिन के भीतर, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अंतिम स्कीम से व्यथित हो, फाइल किए गए आवेदन पर, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की शुद्धता के बारे में या ऐसे प्राधिकारी की किसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में समाधान करने के प्रयोजन के लिये, किसी स्कीम के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसे अभिलेख मंगवाते समय निर्देश दे सकेगा कि स्कीम का निष्पादन निलंबित कर दिया जाए, और राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे और यह आदेश अंतिम होगा :

परंतु कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे प्रभावित व्यक्ति और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.''.

धारा ५४ का हटाया जाना.

१४. मूल अधिनियम की धारा ५४ का लोप किया जाए.

धारा ५६ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए अर्थात्:—

''परंतु उक्त करार में ऐसी शर्तें अंतर्विष्ट होंगी और वह ऐसी रीति में निष्पादित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.''.

धारा ५६-क तथा ५६-ख का अंत:स्थापन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ५६ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

करार की लिखत पर कोई रजिस्ट्रीकरण शुल्क का न लगना.

''५६-क. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५६ में उल्लिखित करार को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमि स्वामी और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच निष्पादित लिखत पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा.

करार की लिखत पर कोई स्टाम्प शुल्क का न लगना.

''५६-ख. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५६ में उल्लिखित करार को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमिस्वामी और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच निष्पादित किसी लिखत पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) को अधिनियमित किए जाने के बाद से, नगरीकरण की प्रक्रिया में बहुत प्रगति हुई है और इस कालावधि के दौरान विकास तथा इसकी अपेक्षाओं के रूप में कई परिवर्तन देखे गए हैं. नगर योजना में, परिवर्तनशील प्रवाह में प्रगति को बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि मूल अधिनियम को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाए.

२. विधेयक में, प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(१) मूल अधिनियम की धारा १६ में, संचालक द्वारा भूमि के उपयोग के स्थिरीकरण के पश्चात् विकास की अनुज्ञा का उपबंध है. प्रस्तावित संशोधन में अनुज्ञा के लिये रीति तथा शर्तें और इस प्रयोजन के लिये प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित शुल्क का भी उपबंध है. साथ ही साथ ऐसी अनुज्ञा के पुनरीक्षण का उपबंध भी अंत:स्थापित किया जा रहा है.

(२) मूल अधिनियम की धारा १८ (२) में, धारा १७-क के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित की गई समिति द्वारा, प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर, सुझाव दिए जाने का उपबंध है. नियमों में विहित की जाकर उक्त कार्य को करने की रीति अंत:स्थापित की जा रही है.

(३) धारा २३-क (२) में, विकास या परिक्षेत्रिक योजना में, उपांतरण को अंतिम रूप देने में सरकार का स्वविवेक प्रस्तावित है. सरकार द्वारा शर्तों की छानबीन तथा उनके अधिरोपण का भी उपबंध है.

(४) मूल अधिनियम की धारा २४-क में, आवासीय भवनों में अतिरिक्त तल के निर्माण के लिये उपबंध दिए गए हैं. ये उपबंध धारा १९ में प्रकाशित विकास योजना की भावना के विरूद्ध हैं और इनके दुरूपयोग की बहुत अधिक संभावना है. अत: प्रस्तावित है कि उक्त उपबंध का लोप किया जाए.

(५) वर्तमान में, मूल अधिनियम की धारा २९ में, पूर्व में प्रदान की गई विकास अनुज्ञा में संशोधन किए जाने के लिये कोई उपबंध नहीं है. धारा २९ में प्रस्तावित संशोधन से यह कठिनाई दूर होगी.

(६) धारा ३०-क, इस उद्देश्य से अंत:स्थापित की जा रही है कि अनुमोदित औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक अभिन्यासों के प्लाटों का विलयन या समेकन संभव हो सके.

(७) मूल अधिनियम की धारा ३७ में, अप्राधिकृत विकास को, ५ वर्ष की कालावधि के पश्चात्, विकासकर्ता द्वारा नियमित मान लिया जाता है. ५वर्ष की कालावधि के पश्चात्, अप्राधिकृत विकास के विरूद्ध कार्रवाई संभव नहीं है. अत: धारा ३७ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

(८) मूल अधिनियम की धारा ५६ में, एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, नियमों में विहित किया जाकर करार की अन्तर्वस्तु अंत:स्थापित की जा रही है. करार के माध्यम से अर्जन के मामलों में संदत्त किए जाने के लिये अपेक्षित दोहरे, स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रीकरण शुल्क के निवारण के लिए नई धारा ५६-क तथा ५६-ख अंत:स्थापित की जा रही है.

(९) विधेयक में अन्य संशोधन गौण स्वरूप के हैं.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १८ नवम्बर, २०११.

अजय विश्नोई
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, २०११ के जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-२ अनुज्ञा दिये जाने की शर्तें, आवेदन का प्ररूप तथा शुल्क नियत किये जाने;

खण्ड-३ प्राप्त की गई आपत्तियों तथा सुझावों के अभिलेख संधारित करने;

खण्ड-५ विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना के उपांतरण के आवेदन का प्ररूप, शुल्क एवं दस्तावेजों के संबंध में, विभिन्न प्रवर्गों के प्रकरणों के प्रभार के उदग्रहण के मापदण्ड तथा रीति;

खण्ड-६ अनुज्ञेय सीमा से अधिक फर्शी क्षेत्र अनुपात के अनुज्ञात की राशि के निर्धारण तथा तत्संबंध शुल्क नियत किये जाने;
धारा २३ ख

खण्ड-८ उपांतरण किये जाने से संबंधित ब्यौरे, दस्तावेज तथा शुल्क निर्धारित किये जाने;
धारा २९

खण्ड-९ विल्लंगमों पर विचार किये जाने की प्रक्रिया, तथा उनके उपचार संबंधी आदेश के प्ररूप के निर्धारण किये जाने;

खण्ड-१० जैसी कि अनुज्ञात किये जाने संबंधी शर्तों के नियतन, तथा आवेदन शुल्क के निर्धारण के संबंध में;

खण्ड-१५ करार संबंधी आवश्यक शर्तों को सुनिश्चित किये जाने;

के संबंध में शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं, जो सामान्य स्वरूप की हैं.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011